छब्बीस-२ सचित्रकारा

विषय:-

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी० 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने के संबंध में।

पंजी क0 145 दि0 14.01,2015

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

2/- प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0 भोपाल से प्राप्त दिनांक 12.01.2015 द्वारा कार्यपालन यंत्री, खंड धार के प्रस्तावानुसार पारित निर्णय की प्रति संलग्न कर लेख किया है कि प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी० 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09 10.2014 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के समझ रिट अपील दायर करने की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त कर उपलब्ध कराने एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का निवेदन किया गया है।

3/- तत्संबंध में प्रकरण में प्रथमतः कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। मान्य होने पर प्रारूप/स्वण्रति अनु0/हस्ता० प्रस्तुत।

अनुकर्माधिक

3 y la fatua

06

0 200 27-15

बिंग्यारि श्री ।।।ऽ (डॉ. अमिताम अवस्थी) उप सचिव, पी.एचई.

3 : 15

27/01/16

PAI

or of the state of

20/11/15

233/PSIPHERDES

27-1-15 suri Beus. छब्बीस-२ १ ्रालय

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपींठ, इन्दौर के प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी० 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृष्ठ पर प्रकरण में प्रशासंकीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अतः प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी० 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरूद्ध म0प्र० शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2014 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के समक्ष रिट अपील दायर करने की अनुमति जारी किये जाने हेतु कृपया नस्ती विधि विभाग को अंकित करना वाहेंगे।

अनु०अमि०

after PANIT

(औ. अमितान अवस्थी) सप सचिव, पी.एच.ई.

आदेश की पति नासी पर रावकर

। के टामिस

्रक्त संगति। उत्तर मिलत, विदिश

लोम-स्वास्य योजिन विमाण

0

2812/1

का विभाग

177/20045 12-215-

2016

(13 73)

mi pair 28:2-15

The state of the s

विषय:---विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू०पी० 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने के संबंध में।

का विक

पूर्व पुष्ठ से:-

पूर्व पुष्ठ पर विधि विभाग द्वारा जारी अनुमति के अनुक्म में प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किये जाने हेत प्रारूप/स्व0प्रति अनु0/हस्ता० प्रस्तुत है।

अनुव्यधिव

Chreath 02403412

पंजी क0 1000 दि0 24.03.20.15 पंजी क0 1488 दि0 01.05.2015

कपया विचाराधीन पत्रों का अवलोकन करें। कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार से प्राप्त पत्र दिनांक 17.03.2015 द्वारा प्रकरण कमांक डब्ल्यू0पी0 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2014 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के समक्ष दिनांक 13.03.2015 को रिट अपील क0 102/2015 दायर किया जाकर अवगत कराया गया है।

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार से प्राप्त पु0पत्र दिनांक 25.04.2015 द्वारा रिट अपील क0 102/2015 म०प्र०शासन व अन्य विरूद्ध बाबूलाल गेहलोत में युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) दायर करने की अनुमति चाही गई है। शासकीय अधिवक्ता क्० मिनी रविन्द्रन द्वारा अभिमत विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) दायर किये जाने का भत दिया गया है।

विषय :--विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू०पी० 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने के संबंध में।

मंजी छो. स्वा. यां का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

विषयाकिंत प्रकरण में कार्यपालन यंत्री खंड धार की अनुशंसा एवं शासकीय अधिवक्ता मिस मिनी रविन्द्रन के दिनांक 20.4.15 के मतानुसार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.3.15 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त करने एवं कार्यपालन यंत्री खंड धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. 3751 दिनांक 15.5.15 से शासन से निवेदन किया गया है।

प्रमुख सचिव महोदय लो०स्वा0यां०वि०

शाकेम्पा-648- डॉनशकेम्पो-16-12-13-5 लाख

छब्बीस-२ सचिवालय

22/32/2015 6861 N 319

विषय -

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण कमांक डब्ल्यू०पी० 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोतं विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने के संबंध में।

का विभाग का) कि PAE

पूर्व पृष्ठ से:-

पंजी क0 1760 दि0 22.05.2015

पूर्व पृष्ठ पर प्रमुख अभियंता की टीप एवं विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन करें।

प्रमुख अभियंता द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागं, खंड धार की अनुशंसा एवं शासकीय अधिवक्ता क्0 मिनी रविन्द्रन द्वारा अभिमत के दिनांक 20.04 2015 के मतानुसार माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर की युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) दायर की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त करने एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार को प्रगारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु उनके पत्र दिनांक 15.05.2015 द्वारा निवेदन किया गया है।

अतः प्रमुख अभियंता द्वारा प्रस्तावित रिट अपील क0 102/2015 म0प्र0शासन व अन्य विरुद्ध बाबूलाल गेहलेत में युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्य न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) दायर करने हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। तदानुसार मान्यू मे प्र प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

21121 Aly Mender 312 fee 311/100 अन्यक्षाध्य \$. 102/2015 - \$ mi - 50-4 -41201 M4 5121

witer friely Ania 18.03.2015 & tours SLP TILL fait MIN an ENGINA

रिया भाग रे। महत्तवार प्रमे पुत्र पर

त्रमात्त्र आश्यमात्रा के प्रकावासमार क्षे

31न्सार ज्यार्थाकी रिक्से ज्ञाने हेर प्रया Zutyariat 1

अस्तानिमार 'A' अनुमार कार्यवाही ही ज्याना 1262-63

03.06.15

8-104

विषयः :

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू०पी० 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने के संबंध में। (ऽ८० की अनुकारी)

पूर्व पृष्ठ से:-

प्रमुख अभियंता के प्रस्तावानुसार प्रकरण में कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा.यां.वि. खंड, धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। अतः रिट अपील क0 102/2015 म0प्र0शासन व अन्य विरुद्ध बाबूलाल गेहलोत में मान्. उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर की युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नईदिल्ली के समक्ष एस.एल.पी.दायर किये जाने हेतु मान्. मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

व्हापमा मे" प्रशासकीय अनुमादनार्थी

5 16/15

च्य सबिव, पी.एच.ई

नी कुमार राय प्रमुख सचिव,ली.स्वा.यां.पि

11.645

अज्ञाध0

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण विषय : क्मांक डब्ल्यू०पी० 11962/2013 श्री बाबुलाल गेहलोत विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्यू में रिट्र अपील दायर करने के संबंध में। Csc Pol अनुमारी) पूर्व पृष्ठ से:-पूर्व पृष्ठ पर प्रकरण में मान्. मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अतः रिट अपील क0 102/2015 म0प्र0शासन व अन्य विरुद्ध बाबूलाल गेहलोत में युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) दायर करने की अनुमृति हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे। अनुक्जाहा० 911615 US 11.6.15 26/15 Talu Panisi अहर की कि नामि पर रात कार केविन कै। अधिताभ किना) the there are सारकी किर्माण ह्यांन स्वाप्य 0 2-7.15

F-15-46/2015/1/34 क्मांक 145/2015/1/34

छब्बोस-२ सचिवालय

विषय :

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण क्मांक डब्ल्यू०ए० 102/2015 म०प्र० शासून एव अन्य विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में स्टिं अपील दायर करने के संबंध में।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

नस्ती पर अंकित विधि विभाग के पत्र दिनांक 01.07.2015 का कृपया अवलोकन करना चाहेंगे।

विभाग द्वारा रिट अपील क0 म०प्र0शासन व अन्य विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरूद्ध मां० सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुनति याचिका (एस०एल०पी०) दायर करने की अनुमति विधि विभाग से चाही गई है।

विधि विभाग द्वारा प्रकरण डब्ल्यू.पी. 11962 / 2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म०प्र०शासन व अन्य

के संबंध में अनुमति जारी की गई है।

अतः प्रस्तावित है कि नरती पुनः विधि विभाग को भेजी जाकर रिट अपील क0 102/2015 म0प्र0शासन व अन्य विरूद्ध भी बाबूलाल गेहलोत में युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरूद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) दायर करने की संशोधित अनुमित शीघ्र जारी किये जाने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे। अनुव्याधिव

P-104/

Buns 2715

उपरिका विकि किमकी के तारकम्प at washew Zings met fond min de guar oras talen tanis out Titas oneni

Faller Pantoi

2-7-15

विषय:-विषय :

छब्बीस-२ सा-्बालय

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण कमांक डब्ल्यू०ए० 102/2015 म०प्र० शासन एवं अन्य विरूद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में रिट अपील दायर करने के संबंध में। मंजी हो. स्वा. यां.

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

अंश्रीकर अर्थेश की प्रति नामी

पर रख कर जीवत है।

देशिय प्राप्त किया अधिक अतिरिक्त मिलत अधिक

लोन स्वाप्टम यांग्रिक विकास

10.07.10

0

रिट अपील क0 102/2015 म0प्र0शासन व अन्य विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) दायर करने के संबंध में उनके पत्र दिनांक 01.07.2015 के संदर्भ में संशोधित पत्र दिनांक 08.07.2015 जारी कर दिया गया है।

अतः विधि विभाग द्वारा जारी अनुमति के अनुक्रम में उक्त दोनो पत्रों की छायाप्रति प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुव्यधिव

W) क्षाया अनु मोहलारी।

13.7.13

Sk. 142.15

511C1EL

92

Quith: 15/07/15

JK-3-15

77.15

smi Bais

P+10h/

P. 128 To 135/

0

হাবেট ক্লা

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण कमांक डब्ल्यू०ए० 102/2015 म०प्र० शासन एवं अन्य विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में एस०एल०पी० दायर करने के संबंध में।

मंबरि

पूर्व पृष्ठ से:-

व्या प्रवे रख ५८ हमें अनुमोदन अन्त्व

1634-35 12-15-15

विषय:-

संत्री स्वा. याँ. वि. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. का विभाग (सिविल) सी.सी. 20399/2015 म.प्र. शासन विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध रिव्यू एस०एल०पी० दायर करने की अनुमति के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से:-

पंजी क0 836 दिनांक 26.02.2016

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

प्रमुख अभियंता के पत्र दिनांक 19.02.2016 में लेख किया गया है कि श्री बाबूलाल गेहलोत को 24 वर्ष पूर्ण होने पर दो कमोन्नित का लाभ हेतू माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक 11962/2013(एस) दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 09.10.2014 में श्री विष्णुदास विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 24.07.2014 अनुसार समान हित लाभ देने के आदेश दिये गये हैं।

विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2014 के विरूद्ध 3/ माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यू.ए. कमांक 102/2015 दायर की गई थी, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2015 को खारिज कर दी 🔑 1457 थी।

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण डब्ल्यू ए. कमांक 102/2015 म.प्र. शासन विरूद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ की युगलपीठ के पारित आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी.(सिविल) सी.सी. 20399/2015 दायर की गई, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2015 को खारिज कर दिया

गया है।

प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के स्थाई शासकीय अधिवक्ता श्री अर्जुन गर्ग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णाय दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन दायर करने का अभिमत दिया गया है।

प्रमुख अभियंता द्वारा प्रकरण में कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा एवं शासकीय अधिवक्ता के मतानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति दिये जाने एवं कार्यपालन यंत्री, खंड धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त वर्णित वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा एवं शासकीय अधिवक्ता के मतानुसार एस. एल.पी.(सिविल) सी.सी. 20399/2015 में निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति दिये जाने एवं कार्यपालन यंत्री, खुंड धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु आदेशार्श्न प्रस्तुत है। अनुक्अधि0

34(124 presimento du 2 3 (3)-1-1-66 عو का उनवलाइन कब्ला चाहें ने । लड़ मार उपयम 'द्रन'

P-142/0

29 2 16

का विभाग

छच्चीस-२ सचिवालय

विषय :

विषय:-

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सिविल) सी.सी. 20399/2015 म.प्र. शासन विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरुद्ध रिव्यू एस०एल०पी० दायर करने की अनुमति के संबंध में।

43/05/PHE

331/2016 Arto-4/3/2016

नरती आवक क/ 302 नंप.इ.स.प्र.म.स.वेड्डाशी से मा मार्ग आवक दिनांक प्रहार विशेषित मार्ग हैं। पूर्व पृष्ठ से:
प्राप्ता क्ष्म अनु मादलाई अरुत्त ही

प्राप्त के के अनुमादलाई | कडोब्डा 16

प्राप्त सिवा

प्राप्त सिवा

सान मं जो को स्वासी अवस्था
स्वासी भागा ।

All the self intoknous

ugho

अधिवनी कुमार राय प्रमुख सचिव, लो.स्वा.यां.वि कुसुर्ग मंत्री पंजी आय प्रसंस्करण प्रमुखल्याल हवा महत्व विकास, कुरोर एवं ग्रामोकी महत्व कल्याल हवा महत्व विकास, कुरोर एवं ग्रामोकी महत्व कल्याल हवा महत्व विकास, कुरोर एवं ग्रामोकी महत्व कल्याल हवा महत्व विकास, कुरोर एवं ग्रामोकी

101-3/16

show Bee's 15.3.16